पत्रांक– बाढ़ नि0 रूपां0 प्र0–01–तक0 (अना0)–42 / 2025–

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना।

सेवा में,

उप–महाप्रबंधक,
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड
(पाईप लाईन प्रभाग), पूर्वी क्षेत्र पाईपलाईंस, मोतिहारी,
छपरबहास, (ब्लॉक–सुगौली), मोतिहारी पूर्वी चम्पारण।
(e-mail-amit_kumar@INDIANOIL.IN)

पटना, दिनांक–

विषयः– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत गंडक नदी के बाँए तट पर अवस्थित चम्पारण तटबंध के कि0मी0 116.5 (Lat-26.378254, Lon-84.7772276) एवं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चैनेज 49.926 कि0 मी0 पर दिनाक– 14.07.2024 को हुई पाईपिंग की घटना तथा उक्त क्रासिंग स्थल पर बाँध तथा पाईप लाईन की सुरक्षार्थ पाईप लाईन की गहराई बढ़ाने हेतु प्रथम चरण अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) निमित्त सैद्धान्तिक सहमति निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पत्र के क्रम में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत गंडक नदी के बाँए तट पर अवस्थित चम्पारण तटबंध के कि0मी0 116.5 (Lat-26.378254, Lon-84.7772276) एवं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चैनेज 49.926 कि0 मी0 पर दिनाक– 14.07.2024 को हुई पाईपिंग की घटना तथा उक्त क्रासिंग स्थल पर बाँध तथा पाईप लाईन की सुरक्षार्थ पाईप लाईन की गहराई बढ़ाने हेतु प्रथम चरण अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) निमित्त सैद्धान्तिक सहमति निम्न शर्तों के साथ दी जाती हैः–

शर्तेः–

1. पाईप लाईन बिछाने के दौरान सभी अपेक्षित राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का पूर्णतः पालन करना होगा।
2. पाईप लाईन HDD (Horizontal Directional Drilling) method द्वारा सभी सुरक्षात्मक उपाय के साथ बिछाये जायेंगे।
3. River Crossing हेतु पाईप लाईन नदी के केन्द्र से दोनों ओर न्यूनतम Lacey's Waterway का 1.50 गुणा दूरी तक तथा पाईप लाईन का Top Level नदी के HFL से Maximum Scour Depth अथवा Deepest Bed Level (दोनों में से जो नीचे हो) से न्यूनतम 3.00 मी० नीचे से गुजारना बाध्यकारी होगा।
4. Embankment Crossing हेतु पाईप लाईन बाँध के केन्द्र से Entry Point एवं Exit Point की न्यूनतम Horizontal Distance 98.32 m तथा पाईप लाईन का Top Level नदी तटबंध के पास Maximum scour depth के नीचे या N.S.L से कम–से–कम 3 मी0 (दोनों में जो नीचे हो) की गहराई से गुजारना बाध्यकारी होगा।

5. पाईप लाईन के संरेखन को निर्मित संरचनाओं से न्यूनतम 50 मी० की दूरी पर रखना अनिवार्य होगा।
6. कार्य कराते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि नदी के प्रवाह बाधित नहीं हो।
7. नई पाईप लाईन चालु होने के पश्चात् पुरानी पाईप लाईन को हटा देना होगा एवं पुरानी पाईप को हटाने के क्रम में यह सुनिश्चित करना होगा की तटबंध पर किसी प्रकार प्रतिकुल प्रभाव उत्पन्न न हो।
8. नदी/तटबंधो के क्रासिंग बिन्दुओं के समीप Danger post लगाना होगा ताकि कार्य स्थल पर कार्य करते समय इसे ध्यान में रखा जा सके।
9. तटबंध के across पाईप लाईन बिछाते समय सुरक्षात्मक उपाय के साथ बिछाना होगा, जिससे तटबंधों को किसी प्रकार की क्षति न हो।
10. यह सुनिश्चित करना होगा कि पाईप लाईन के कारण तटबंधों के रख रखाव एवं इसके ऊपर किसी प्रकार का निर्माण करने में पाईप लाईन के कारण व्यवधान उत्पन्न नहीं हो।
11. नदी का Morphology अक्षुण्ण रखना होगा। बाढ़ अवधि में पाईप लाईन के पास नदी के Behaviour की सतत् निगरानी एवं आवश्यकतानुसार जल संसाधन विभाग को सूचना देकर बाढ़ संघर्षात्मक/सुरक्षात्मक कार्य कराने की पूरी जिम्मेवारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) की होगी एवं इस संबंध में जल संसाधन विभाग के अभियंताओं का परामर्श मान्य होगा।
12. पाईप लाईन के मार्ग में पक्की सड़क एवं संरचना को क्षति नहीं पहुँचानी होगी।
13. कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल पर बचे हुए किसी प्रकार के अवशेष ,निर्माण सामग्री/खुदाई के क्रम में Excavated Material को पूर्ण रूप से हटा लेना होगा।
14. उपर्युक्त पाईप लाईन से पेट्रोलियम उत्पाद आदि का रिसाव नहीं हो इसकी पूर्ण सुरक्षा का प्रबंधन एवं विशेष सुरक्षा की व्यवस्था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) द्वारा की जानी होगी।
15. उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा।
16. कार्य कराते वक्त जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करना होगा।
17. यह सैद्धान्तिक सहमति सिर्फ जल संसाधन विभाग की तरफ से है एवं अन्य विभागों से यदि आवश्यकता हो तो अनापत्ति प्रमाण–पत्र अलग से प्राप्त की जायेगी।
18. किसी भी प्रकार के dispute की स्थिति में जल संसाधन विभाग का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।
19. कार्य के दौरान नदी/तटबंध पर उत्पन्न किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की जिम्मेवारी निर्माणकर्ता की होगी ।
20. कार्य प्रांरभ एवं समाप्ति की सूचना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को ससमय देना होगा।
21. पाईप लाईन में किसी प्रकार की दुर्घटना/अनदेखी की पूरी जवाबदेही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) की होगी।
22. प्रथम चरण के अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति में दिये गये शर्तों को समाहित करते हुए द्वितीय चरण के अन्तर्गत अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रस्ताव मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना को उपलब्ध कराना होगा।

23. अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के प्रस्ताव के साथ यह प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा की **"प्रस्तावित संरचना का रूपांकण एवं आलेख्य संबंधी अभिलेख सक्षम तकनीकी प्राधिकार से अनुमोदित है"।**

24. उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन नहीं करने पर निर्गत सैद्धान्तिक सहमति पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–
(ब्रजेश मोहन),
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

पत्रांक– बाढ़ नि0 रूपां0 प्र0–01–तक0 (अना0)–42/2025– पटना, दिनांक :
प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्स्रण अंचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र में दिये गये शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

पत्रांक– बाढ़ नि0 रूपां0 प्र0–01–तक0 (अना0)–42/2025– 161 पटना, दिनांक : 12/06/2026
प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/06/26
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।